उत्तराखण्ड शासन
लघु सिंचाई विभाग,

संख्या 493/ II-2008-03(02)/2008,
देहरादून, दिनांक 25 अप्रैल, 2008

शुद्धिपत्र

शासनादेश सं0 441/ II-2008-03(02)/2008 दिनांक 21.04.2008 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिए जिला योजना के अन्तर्गत आयोजनागत मदों में रू0 491.82 लाख (रूपये चार करोड़ इक्यानबे लाख बयासी हजार मात्र) की धनराशि समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड के निवर्तन पर रखी गयी थी। उक्त शासनादेश के अन्तिम प्रस्तर में त्रुटिवश "इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक की अनुदान सं0-20, 30 एवं 31 के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित उपलेखाशीषकों के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।" अंकित हो गया था, जिसे "इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक की अनुदान सं0-20 के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित उपलेखाशीषकों के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।" पढ़ा जाय।

उक्त शासनादेश की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी। उक्त शासनादेश को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

(विनोद फोनिया)
सचिव।

संख्या: 493/ II-2008-03(02)/08,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
2-महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
3-वित्त विभाग (वित्त अनुभाग-4), उत्तराखण्ड शासन।
4-श्री एम.एल. पन्त, अपर सचिव, वित्त, बजट, अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5-नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6-निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री।
7-अधिशासी निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8-समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9-समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पंचायत उत्तराखण्ड।
10-मुख्य अभियंता एवं विभागाध्यक्ष, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
11-निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12-गार्ड फाईल।

(एस0एस0 टोलिया)
अनु सचिव